



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

भाग – 2

भारत और मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/yqtoiy>

Online order करें - <https://bit.ly/3AAJwpU>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

भारत की राजव्यवस्था		
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	संविधान सभा • क्रिप्स मिशन • संविधान सभा की कार्य प्रणाली • संविधान सभा की समितियां	1
2.	उद्देशिका (प्रस्तावना) • प्रस्तावना के मुख्य शब्द • राज्य के उद्देश्य • राज्य की शक्ति का स्रोत	4
3.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • राज्य की परिभाषा • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मूल अधिकारों के महत्व	9
4.	राज्य के नीति निर्देशक तत्व • पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान • नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएँ • नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना	19
5.	मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण • वर्तमान में मूल कर्तव्य	24
6.	संघ की कार्यपालिका (राष्ट्रपति) • निर्वाचक प्रक्रिया • निर्वाचन से संबंधित विवाद • समालोचनात्मक विश्लेषण • राष्ट्रपति पर महाभियोग • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति	26
7.	उपराष्ट्रपति • भूमिका	43

	• शक्तियाँ और कार्य	
8.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य • सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली • मंत्रिपरिषद् की संरचना • मंत्रिमंडलीय समितियाँ	46
9.	भारतीय संसद • संघीय विधानमंडल (संसद) • लोकसभा • राज्यसभा • राज्यसभा के अधिकार और कार्य • सांसदों के विशेषाधिकार • संसद की कार्यवाही • संसदीय समितियाँ • वित्त विधेयक	53
10.	उच्चतम न्यायालय • सुप्रीम कोर्ट की भूमिका • उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता • न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा	66
11.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • प्रमुख संशोधन • सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले	74
12.	भारत निर्वाचन आयोग • प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त • निर्वाचन आयोग का कार्य • चुनाव सुधार समस्याएँ और समाधान की संभावनाएँ	81
13.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	85
14.	नीति आयोग	87

	• नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य	
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त • सचिवालय • विभागीय जाँच आयुक्त	89
16.	संघ लोक सेवा आयोग • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य	94
17.	केंद्रीय सूचना आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना • कार्यकाल एवं सेवा शर्तें • केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य	96
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य • आयोग की कार्य प्रणाली • आयोग की भूमिका	100
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग	102
21.	अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग • राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - राष्ट्रीय हरित अधिकरण	103
मध्यप्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था		
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था	106
2	मध्य प्रदेश राजनीतिक पद (वर्तमान में 2024) • वर्तमान में मुख्यमंत्री एवं मंत्री	107

	• वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्य	
3.	राज्यपाल • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ • मध्य प्रदेश के राज्यपाल	108
4.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् • मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ • राज्य मंत्रिपरिषद् • मंत्रिपरिषद् का गठन • मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य	114
5.	राज्य विधानसभा • राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद् की शक्तियाँ • मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष	118
6.	उच्च न्यायालय • न्यायाधीशों की नियुक्त • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति	124
7.	मध्यप्रदेश के विभिन्न आयोग • मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग • मध्य प्रदेश लोक सेवकों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएँ • मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग	129
8.	मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थानीय एवं नगरीय प्रशासन	131
9.	मध्यप्रदेश में प्रशासन एवं सुशासन • सचिव एवं सचिवालय • जिला प्रशासन • जिला कलेक्टर	139

भारत की राजव्यवस्था

अध्याय - 1

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. राय ने रखा**।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा**। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है। **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया**।

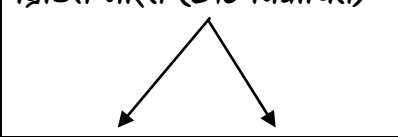
क्रिप्स मिशन

- **लॉर्ड सर पैथिक लारेन्स** (अध्यक्ष)
 - **ए. वी. अलेक्जेंडर**
 - **सर स्टेफोर्ड क्रिप्स**
 - कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ**। मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था -
 - संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनसे 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी।
 - हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था।
 - प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)।
 - प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था।
 - देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निर्माकित सभा थी।
- उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों को आवंटित की गई

93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। तब भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

5. निर्वाचन पद्धति :- एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार

सदस्य	
ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित)	देसी रियासत (93 सीट)
	
292 प्रांतों से	उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
-	दिल्ली
-	अजमेर मेरवाड़ा
-	कुर्ग
-	बलुचिस्तान

- उद्देश्य प्रस्ताव :-** संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी:-
- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।
 - भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
 - इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
 - भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
 - अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
 - देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
 - भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
 अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
 उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

- ❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।**
- 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	पं. जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	पं. जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	सरदार पटेल

प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

- अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन गोपालस्वामी आयरंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम. मुंशी
- सैयद मोहमद सादुल्ला
- एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
- टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की जगह)
- प्रारूप समिति का गठन - 29 अगस्त 1947 नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- डॉ. B. R. अम्बेडकर ने 'द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेंटल बाई द असेंबली बी पासड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।
- संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं की संविधान सौंपा।
- नए विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर को 'संविधान के पिता' के रूप में पहचाना जाता है, इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को "आधुनिक मनु की संज्ञा" भी दी जाती है।
- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास = (49)

बॉम्बे (मुंबई)	=	(21)
पश्चिम बंगाल	=	(19)
संयुक्त प्रांत	=	(55)
पूर्वी पंजाब	=	(12)
बिहार	=	(36)
मध्य प्रांत एवं बेरार	=	(17)
असम	=	(8)
उड़ीसा	=	(9)
दिल्ली	=	(1)

- **संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया।** सर वी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति

- एच. बी. आर अयंगर (सचिव)
- एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
- प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)
- मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)
- **15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की स्थिति :-**
- संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई और अब वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी।
- अब संविधान सभा ने दोहरी भूमिका अदा की - जब यह संविधान निर्माण करती तब इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते हैं। और विधायिका के रूप में कार्य करते समय अध्यक्षता जी. बी. मावलंकर करते।
- **संविधान सभा में सदस्य (15 Aug 1947)**

कुल सदस्य (299 शेष)		
ब्रिटिश भारत	चीफ कमिश्नरी	रियासतों से
226	3	70

- 26 नवंबर, 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 880, 388, 391, 392, और 393 स्वतः ही लागू हो गए और संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए। इस दिन को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में पारित हुए संकल्प के आधार पर 'पूर्ण स्वराज दिवस' मनाया गया था।
- ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार - संविधान सभा एक-दलीय देश का एक -दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।" लार्ड विसकाउंट ने संविधान सभा को "हिंदुओं का विकाय" कहा।
- विंस्टन चर्चिल ने कहा की "संविधान सभा ने "भारत के केवल एक बड़े समुदाय" का प्रतिनिधित्व किया।
- **Note fact :** संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।

- सर N.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था
- एल. एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रासपकार (चीफ ड्राफ्टमैन) नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख 'सुलेखक' (calligrapher) थे।
- प्रेम बिहारी द्वारा हस्तलिखित हैं व मूल प्रस्तावना भी इनके द्वारा ही हस्तलिखित हैं।
- मूल संविधान के हिन्दी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया जिसे नंदलाल बोस ने सुन्दर ढंग से अलंकृत किया गया।

सारांश

- मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
- इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री **विलियम पिट्स** द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
- बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में **1860** से शुरू किया गया।
- घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके।
- यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24) पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली।
- यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया।
- ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भू-भाग का हिस्सा बन गए और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

पहले पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है।

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, "हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, हम अपनी जरूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी, उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है।"
- प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
- प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।"
- प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला।
- यह गैर-न्यायिक है अर्थात् इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. निम्न संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं हैं -
 1. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
 2. अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता
 3. न्याय-सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक
 4. व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व
 5. राष्ट्र की एकता एवं अखंडता प्रस्तावना में उल्लेखित इन विशेषताओं का सही क्रम क्या होगा

A. 5, 1, 2, 4, 3 B. 3, 2, 1, 4, 5
C. 3, 1, 2, 5, 4 D. 1, 2, 3, 4 **उत्तर - B**
2. भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है?

A. नेहरू रिपोर्ट, 1928
B. पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव
C. महात्मा गांधी का 1922 में यंग इंडिया में लिखा गया आलेख
D. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव

उत्तर - B
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 'आर्थिक न्याय' का क्या अभिप्राय है?

A. संपत्ति का समान वितरण
B. न्याय के प्रशासन में समानता
C. समाजार्थिक क्रांति
D. गरीबों को सस्ता न्याय

उत्तर - A

4. संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है?

- A. सभी लोगों के मूल अधिकार
- B. भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य
- C. व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता
- D. सरकारी सेवाओं की सेवा की सुरक्षा

उत्तर - C

5. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण में निम्न में से किस शब्द को शामिल नहीं किया गया था?

- A. स्वतंत्रता B. नम्यता
- C. समता D. भाईचारा

उत्तर - B

6. किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए?

- A. 15 वाँ संशोधन B. 39 वाँ संशोधन
- C. 42वाँ संशोधन D. 44 वाँ संशोधन

उत्तर - C

7. संविधान की प्रस्तावना:

- A. संविधान का एक भाग नहीं है।
- B. प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है।
- C. संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- D. संविधान की शक्ति का स्रोत है।

उत्तर - B

4. सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी समूह अथवा उत्पादक वर्ग अथवा व्यवसायी वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु निश्चित नियम बना सकती है।

अनु. -20 - अपराधों के संबंध में अथवा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसमें प्रावधान है कि -

1. किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के संबंध में दोषी नहीं ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नहीं किया हो।
2. किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात् बाद में बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जायेगा। लेकिन ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता है। सिविल मामलों के संबंध में अपराध के बाद बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता।

(कर चोरी, दिवालिया होना या किसी प्रकार के दिवानी से सम्बंधित प्रावधान)

किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जायेगा।

किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनु. 21 :- इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय में अनु. 21 को समय-समय पर अधिक से अधिक प्रसारित किया। वर्तमान समय में इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हो चुके हैं-

- I. निजता का अधिकार।
- II. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
- III. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।
- IV. दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार का अधिकार।
- V. निः शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
- VI. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार।
- VII. सूचना का अधिकार।
- VIII. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार।
- IX. देशी से फांसी के विरुद्ध अधिकार।
- X. फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार।
- XI. विदेश यात्रा का अधिकार।
- XII. नींद का अधिकार।

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-A)

86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।

इसके संबंध राज्य विधि बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।

व्यवहारिक रूप में 2010 से पहले इस मौलिक अधिकार की प्रकृति नीति निदेशक तत्वों के समान ही थी।

अनु. 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण:-

इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

1. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा।
2. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।
3. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को केवल तब ही बढ़ाया जा सकता है। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बोर्ड यह प्रमाणित करे कि अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता है।

अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नहीं होते।

3. मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय है कि महिला पुरुष बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगों के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता है।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता। बलात् श्रम से आशय है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन वह कार्य करने से इंकार करता है तो उससे कार्य करवाना बलात् श्रम नहीं माना जायेगा।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी एवं बेगार नहीं करवाई जा सकती।
- लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक उद्देश्य अथवा आपदा के मामले में अनिवार्य सेवा के नियम को लागू किया जा सकता है। और ऐसी सेवा के बदले राज्य भुगतान करने के लिए भी बाध्य नहीं है। लेकिन राज्य इस संबंध में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

बाल श्रम का प्रतिषेध (अनु. 24)

- इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- लेकिन SC ने यह निर्णय दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के ऐसे कार्य

में सहयोग कर सकता है जिसमें जोखिम ना हो, तथा उसकी शिक्षा एवं खेल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो।

- इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक को जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- 2006 में केन्द्र सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि कोई भी बालक होटल, चाय की दुकान, अन्य सामान्य दुकान आदि में नियोजित नहीं किया जायेगा।
- ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें आर्थिक जुर्माना तथा कारावास दोनों शामिल हैं।

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)-

अनु. 25 - इसमें प्रावधान है कि -

(a) प्रत्येक व्यक्ति की अन्तः करण की स्वतंत्रता होगी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य को अपने तरीके से मानने अथवा अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

(b) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना किसी भय के मानने की स्वतंत्रता रखता है।

(c) प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अपने आराध्य की उपासना कर सकता है।

(d) प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों का प्रचार कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, एवं स्वास्थ्य के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

- इसी प्रकार राज्य को यह अधिकार है कि हिन्दुओं से सम्बंधित धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है।
- अनु. 25 में यह भी प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का मुख्य अंग माना जाएगा।

अनु. 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार होगा कि -

- धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करे एवं उनका संचालन करे
 - अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध करे।
 - जंगम/चल या स्थावर/अचल सम्पत्ति का अर्जन करे। और उस पर स्वामित्व स्थापित करे।
 - उपर्युक्त संपत्ति का विधी के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार।
- अनु. 26 संबंधित अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और प्रचलित विधी के दायरे में आते हैं।
 - अनु. 25 जहा व्यक्तिगत अधिकार से सम्बंधित है। जबकि अनु. 26 समूह से सम्बंधित है।

अनु. 27 - धर्म से सम्बंधित अथवा किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के संबंध में करो के संदाय अथवा करो के देने की स्वतंत्रता

- इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के उद्देश्य से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में निर्णय दिया है कि राज्य कर की राशि को किसी एक धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं कर सकता।

लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि किसी धार्मिक संस्थान में किसी प्रकार की सेवा लेने पर शुल्क लिया जा सकता है। ऐसे शुल्क का उद्देश्य उस धार्मिक संस्थान का रख - रखाव होना चाहिए।

अनु. 28 :- शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता:

निम्नलिखित प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान है कि-

- ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा स्थापित और पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा संचालित हैं तो ऐसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- ऐसा शिक्षण जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया हो किन्तु राज्य के द्वारा संचालित हो, में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य हो।
- राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त लेकिन गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान तथा आंशिक रूप से राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई अल्प वयस्क धार्मिक शिक्षा में भाग ले रहा है तो उसके माता - पिता अथवा अभिभावक की सहमति लेनी होगी।

(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29 व 30):-

- अनु. 29 में यह प्रावधान कि भारत के किसी क्षेत्र के किसी निवासी नागरिकों अथवा इसके किसी भाग की जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है। तो उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।
- अनु. 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों से सम्बंधित नहीं है। यह भाषा लिपि अथवा संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों की बात करता है।
- यह व्यावहारिक रूप में सभी धर्मों एवं सभी नागरिकों पर लागू होता है। लेकिन ऐसे नागरिकों को अधिकार नहीं देता, जो नागरिक तो हैं लेकिन निवासी नहीं हैं।
- अनु. 29 में यह भी प्रावधान है कि राज्य के द्वारा संचालित तथा राज्य निधि के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।
- अनु. 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशासन चलाने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार -
- धर्म या भाषा आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूची के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने एवं इनका प्रशासन चलाने का अधिकार है।
- अल्पसंख्यक वर्ग ले द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान के लिए अर्जित चल अथवा अचल संपत्ति किसी प्रचलित विधी का अतिक्रमण करे।

पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था। प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं।

अधिकार पृच्छा

अर्थ (प्राधिकृत या वारेट के द्वारा)

- इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार करने को रोकता है।
- इसे मंत्री के कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता।
- अन्य चार रिटों से हटकर इसे भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
- इन रिटों को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा गया है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था।

प्रश्न. मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए?

- a. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- b. केशवानंद भारती बनाम केरल संघ
- c. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
- d. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

सही उत्तर का चयन कीजिए

- a. D, B, C, A
- b. A, B, C, D
- c. D, A, B, C
- d. D, C, B, A

उत्तर - c

प्रश्न. कथन (A) 1978 में मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से भारत में व्यवहारतः कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुरोध किया जा रहा है।

कारण (R) संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छारिता नहीं कर सकता है।

कूट -

- a. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R) (A) की सही व्याख्या करता है।
- b. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R) (A) सही व्याख्या नहीं करता है।
- c. (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
- d. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर - a

संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति :-

- संविधान के भाग - 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था, अनु. 19 (1) (च) एवं अनु. 31 में वर्णित था।
- अनुच्छेद 19 (1) (च) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक, हो या गैर - नागरिक को अपनी संपत्ति **वचन** करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है - (अ) इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। और - (ब) इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए।
- 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल - अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग - 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) और अनु. 31 को निरसित किया गया। 'संपत्ति का अधिकार' **शीर्षक** के तहत भाग - 12 में नए अनु. 300 A को शुरू किया गया इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है।
- संपत्ति का अधिकार एक विधिक की तरह (जैसे कि मूल अधिकारों से अलग) निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है-
 (i) इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
 (ii) यह कर्मचारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं।
 (iii) उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनु. 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता वह अनु. 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है।
 (iv) राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है।

सारांश

- इंडिया यानी भारत बजाय 'राज्यों के समूह' के 'राज्यों का संघ' होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है- एक देश का नाम, और दूसरी राज पद्धति का प्रकार।
- संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है।
- संविधान के भाग 3 को 'भारत का मैगाकाटी' की संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है।

अध्याय - 7

उपराष्ट्रपति

भूमिका

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निर्धारित करता है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा'। यह पद देश का द्वितीय सर्वोच्च पद है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के पश्चात् है। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर अपनाया गया है। वैकेंया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में 5 अगस्त 2017 को निर्वाचित हुए।
Note- जगदीप धनकड भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को निर्वाचित हुए।

अर्हताएँ-

उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं:

- वह भारत का नागरिक हों
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों।
- वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।
- वह, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किस स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
- किन्तु, एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद 'लाभ के पद' नहीं माने जाते हैं। संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है।
- यदि वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, अपना स्थान, जिस तारीख से उसने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, उस तारीख को रिक्त कर दिया है या इस हेतु अलग से इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार को, कम से कम 20 प्रस्तावकों तथा 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

निर्वाचक

राष्ट्रपति की भाँति, उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनायी जाती है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो मामलों में भिन्न है।

- इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य (राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में केवल निर्वाचित सदस्य) शामिल होते हैं।

- इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)।
- किन्तु, दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है अर्थात्, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

पदावधि

- उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालाँकि, वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्वी भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर प्रभावी बहुमत (Effective Majority) द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात् सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) तथा इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न कर ले। वह पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है।
- पद रिक्तिता-** उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है:-

- 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर।
 - उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर।
 - उसे बर्खास्त करने पर।
 - उसकी मृत्यु पर।
 - यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए।
- जब पद रिक्ति का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव आयोजित किये जाने का प्रावधान है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रतिशीघ्र चुनाव करवाने चाहिए। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।

शक्तियाँ और कार्य

उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरी प्रकृति के होते हैं:

- वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में, उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भाँति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति

के समान ही कार्य करता है, जो सीनेट (अमेरिका के उच्च सदन) के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है।

- जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक, उसके कर्तव्यों का निर्वहण करता है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसको कार्यों का निर्वहण, उपसभापति द्वारा किया जाता है।

भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना

- यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले।
- इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति हेतु कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है तथा यह पद भारत में मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने हेतु सृजित किया गया है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है।	निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तक ही सीमित है। राज्य विधान सभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

दोनों दशाओं में निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

अर्हताएँ :-

भारत का नागरिक हो।	भारत का नागरिक हो।
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।	35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

लोक सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों।	राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।
--	---

दोनों दशाओं में कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
पदावधि:-

पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।	पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष।
-----------------------------------	-----------------------------------

पद त्याग :-

उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है।	राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है।
--	--

हटाया जाना:-

महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।	महाभियोग नहीं होता किंतु राज्य सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिसमें लोक सभा सहमत हो हटाया जा सकता है।
-----------------------------------	--

पुनर्निर्वाचन:-

चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है।	चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है।
--------------------------------------	--------------------------------------

कृत्य :-

संविधान के अधीन अनेक कृत्य	केवल एक ही कृत्य है, राज्य सभा के सभापति के रूप में कृत्य करना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है।
----------------------------	--

प्रश्न. अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं -

- अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य
- प्रतिनिधि सभा के सदस्य
- सीनेट के सदस्य
- इनमें से कोई नहीं

उत्तर - d

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ?

- जस्टिस मोहम्मद हidayतुल्लाह
- आर वेंकटरमन
- कृष्णकांत
- डॉ. जाकिर हुसैन

उत्तर - c

- इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने दो से चार प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अपितु इसके बाहर के, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं।

मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रीमंडल में अंतर	
मंत्रिपरिषद्	मंत्रीमंडल
1. यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं।	1. यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।
2. इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियाँ - कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री होती हैं।	2. इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अतः, यह मंत्रिपरिषद् का एक भाग है।
3. यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।	3. यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है, और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं।
4. इसे सभी शक्ति प्राप्त हैं परंतु कागजों में	4. ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद् की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है।
5. इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रीमंडल करता है।	5. यह मंत्रिपरिषद् को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।
6. यह मंत्रीमंडल के निर्णयों को लागू करती है।	6. यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है।

वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने -

मुख्यमंत्री	राज्य	प्रधानमंत्री कार्यकाल
मोरारजी देसाई	बम्बई राज्य	1977 - 1979
चरणसिंह	उत्तरप्रदेश	1979 - 1980
वी. पी. सिंह	उत्तरप्रदेश	1989 - 90
पी. वी. नरसिम्हा राव	आंध्रप्रदेश	1991 - 1996

एच. डी. देवगौड़ा	कर्नाटक	1996 - 1997
नरेंद्र मोदी	गुजरात	2014 - At present

मंत्रिपरिषद् और मंत्रीमंडल में अन्तर :-

मंत्रिपरिषद्	मंत्रीमंडल
1. यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 - 70 मंत्री होते हैं।	1. यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 - 20 मंत्री होते हैं।
2. इसमें मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ - कैबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्री होते हैं।	2. इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं ; अतः यह मंत्रिपरिषद् का एक भाग है।
3. यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।	3. यह एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है, इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं।
4. इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु कागजों में।	4. ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद् की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है।
5. इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रीमंडल करता है।	5. यह मंत्रिपरिषद् को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।
6. यह मंत्रीमंडल के निर्णयों को लागू करती है।	6. यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है।
7. यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।	7. यह मंत्रिपरिषद् की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है।

अध्याय - 17

केंद्रीय सूचना आयोग

- केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गयी,
- इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है।
- सूचना आयोग केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है

सूचना का अधिकार (Right to Information)

किसी लोकतंत्र की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें से एक है शासन में पारदर्शिता और सही सूचनाओं तक लोगों की पहुँच।

- खासकर के भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है। वैसे भारतीय संविधान देशे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- सूचना का अधिकार (RTI) एक ऐसा अधिकार है जो एक एड ऑन (Add on) की तरह काम करता है और अन्य अधिकारों को भी सशक्त (Strong) बनाता है।
- दूसरी बात कि ये प्रशासन या प्राधिकरण में सतर्कता बनाए रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
- इसकी शुरुआत वैसे तो 1948 से ही मानी जाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया।
- जिसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- भारत में इसे 2005 में एक अधिनियम के द्वारा अपनाया गया और केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- “सूचना का अधिकार” से यहाँ मतलब पहुँच सकने योग्य सूचना से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है, इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

1. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
3. सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
4. डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना है।”

- सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।”

- थॉमस जैफरसन - (अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act-RTI), 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे शासन में पारदर्शिता और नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

- केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) एवं 10 सूचना आयुक्त (Information commissioner) होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

- (क) मुख्य सूचना आयुक्त; और
 - (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।
- (3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

- (i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और
- (iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये।

अध्याय - 2

मध्य प्रदेश राजनीतिक पद (वर्तमान में 2024)

मुख्यमंत्री :- डॉ. मोहन यादव । मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, श्री मोहन यादव ने 2023 दिसंबर 13 को शपथ ग्रहण की थी।

यह समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था।

पद - सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबन्धन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गये हों ।

उप मुख्यमंत्री :-

श्री जगदीश देवड़ा :- वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी

श्री राजेन्द्र शुक्ल :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा

कैबिनेट मंत्री :-

- **कुंवर विजय शाह :-** जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
- **श्री कैलाश विजयवर्गीय :-** नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य
- **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :-** पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम
- **श्री राकेश सिंह :-** लोक निर्माण विभाग
- **श्री करण सिंह वर्मा :-** राजस्व
- **श्री उदय प्रताप सिंह :-** परिवहन, स्कूल शिक्षा
- **श्रीमती सम्पतिया उईके :-** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- **श्री तुलसीराम सिलावट :-** जल संसाधन
- **श्री भूपेन्द्र सिंह :-** राजस्व
- **श्री एदल सिंह कंषाना :-** किसान कल्याण एवं कृषि विकास
- **सुश्री निर्मला भूरिया :-** महिला एवं बाल विकास
- **श्री गोविन्द सिंह राजपूत :-** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
- **श्री विश्वास सारंग :-** खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता
- **श्री नारायण सिंह कुशवाह :-** सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
- **श्री नागर सिंह चौहान :-** वन, पर्यावरण, अनुसूचित जाति कल्याण
- **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर :-** ऊर्जा
- **श्री राकेश शुक्ला :-** नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
- **श्री चेतन्य कश्यप :-** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
- **श्री इन्दर सिंह परमार :-** उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) :-

- **श्रीमती कृष्णागौर :-** पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण
- **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह :-** संस्कृत, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व
- **श्री दिलीप जायसवाल :-** कुटीर एवं ग्रामोद्योग
- **श्री गौतम टेटवाल :-** तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)
- **श्री लखन सिंह पटेल :-** पशुपालन एवं डेयरी
- **श्री नारायण सिंह पंवार :-** मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास

राज्य मंत्री :-

- **श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल :-** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- **श्रीमती प्रतिमा बागरी :-** नगरीय विकास एवं आवास
- **श्री अहिरवार दिलीप :-** वन, पर्यावरण
- **श्रीमती राधा सिंह :-** पंचायत एवं ग्रामीण विकास

वर्तमान आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

- **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर :-** डॉ. राजेशलाल मेहरा (अध्यक्ष), श्री प्रबल सिपाहा (सचिव)
- **लोक कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग :-** डॉ. राजेशलाल मेहरा (अध्यक्ष)
- **सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग :-** श्री बसंत प्रताप सिंह (राज्य निर्वाचन आयुक्त), श्री अभिषेक सिंह (सचिव), अध्यक्ष पद नहीं ।
- **मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग :-** श्री मनोहर ममतानी (कार्यवाहक अध्यक्ष), श्रीमती स्मिता भारद्वाज (सचिव)
- **मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग :-** श्री मोहन यादव (अध्यक्ष)
- **मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग :-** श्री अरविन्द कुमार शुक्ला (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त), श्री राजेश कुमार ओगरे (सचिव) अध्यक्ष पद नहीं
- **राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग :-** श्री जी.पी. सिंघल (अध्यक्ष), श्री अशोक कुमार गुप्ता (सचिव)
- **वित्त विभाग, राज्य वित्त आयोग :-** वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त नहीं ।
- **ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग :-** श्री एस. पी.एस. परिहार (अध्यक्ष), डॉ. उमाकांत पाण्डा (सचिव)
- **किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, राज्य कृषक आयोग :-** वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त नहीं ।
- **नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग :-** श्री प्रताप करोसिया (अध्यक्ष), श्री बी.डी. भुमरकर (सचिव)

अध्याय - 4

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह राज्य विधानसभा का नेता होता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है। वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टो हेड होता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के तहत की जाती है।
- सामान्यतः, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 164 (3) मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में मिलता है।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक हैं जो एक मंत्री पद के लिए होती हैं। जैसे— (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह

- (i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

- (ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है।

- अनुच्छेद 164 (5) मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है।

स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अर्थात् जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है।

- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है।
- मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे।

राज्यपाल के संदर्भ में

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है।

- (i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे।
- (ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

अध्याय - 8

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज

पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग -4 (नीति - निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत (पंचायतीराज) की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी (नौकरशाहों) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम' चलाया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे।

- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' व 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवंत राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वांछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र.सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवंत राय मेहता	- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की। - पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। i. जिला स्तर पर - जिला परिषद ii. ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर - पंचायत समिति iii. ग्राम स्तर पर (सबसे निचला स्तर) - ग्राम पंचायत - जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की। - इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की।
2.	1977	अशोक मेहता	- पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए। i. जिला स्तर जिला परिषद ii. मण्डल स्तर पर पंचायत समिति - इस समिति ने ग्राम पंचायत (निम्न स्तर) को समाप्त करने की सिफारिश की। - इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। - अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की। - दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की। - पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश। - पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की। - न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की।
3.	1985	जी.बी.के. राव समिति	- पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- i. राज्य स्तर पर - राज्य परिषद ii. जिला स्तर पर - जिला परिषद iii. खण्ड स्तर पर - पंचायत समिति iv. ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत - इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की।

			• जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की। • इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की। • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की। • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की। • इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को 'बिना जड़ की घास' कहा। इस समिति को 'कार्ड समिति' के नाम से भी जाना जाता है।
4.	1986	एल.एम. सिंघवी	• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। • पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की • न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। • ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की तथा • ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा। • राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश
5.	1988	पी.के. थुंगन	• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। • पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश। • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। • जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। • इस समिति ने पंचायतीराज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की।
6.	1963	के. संधानम	
7.	1966	जी. रामचन्द्रन	
8.	1976	दया चौबे	
9.	1978	दांतेवाला	
10.	1984	हनुमंतराव	
11.	1988	वी. एन. गॉडगिल	

पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

- वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल. एम. सिंघवी समिति और थुमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक (पंचायतीराज) तथा 65वाँ संविधान संशोधन विधेयक (नगरीय निकायों) ले लिए प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिए गए लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।
- तत्पश्चात्, वर्ष 1992 में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया।
- 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। (लेकिन यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों व पश्चिम बंगाल के

दार्जिलिंग, पर्वतीय क्षेत्र तथा 5 वीं व 6 ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों लागू नहीं होता)

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।
- इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद (अनुच्छेद-243 से अनुच्छेद 243 (0) तक) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
- यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को प्रवर्तित हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस (Panchayat Day) के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान संशोधन के बाद नया पंचायतीराज अधिनियम सर्वप्रथम कर्नाटक ने 10 मई, 1993 को लागू किया।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

(Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdaK856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - <https://wa.link/yqtoiy> 1 web.- <https://bit.ly/3AAJwpU>

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.